''ब्रिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जून, 2004—आषाढ़ 4, शक 1926

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2004

क्रमांक 28/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री दीवानलाल तलरेजा आत्मज स्वर्गीय भीखामल तलरेजा निवासी डी-33, टैगोर नगर रायपुर ने म. प्र. पब्लिक ट्रेस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें, और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 22-4-04 को होगी.

अनुसूची

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण : अमरापुर जन सेवा ट्रस्ट रायपुर
10,000/- (दस हजार) रुपये उक्त राशि पंजाब नेशनल बैंक के खाता नम्बर 0167001 में नगद जमा है.

हस्ता/-
पंजीयक

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.